<u>प्रेस नोट दिनांक 04.12.2025 जनपद प्रतापगढ़</u>

<u>थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़</u>

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ के थाना बाघराय में गौवध अधि0, पशु क्रुरता अधि0, गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 शिवा प्रजापति, का0 रिंकू सिंह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ एवं उ0नि0 श्री रज्जन राव चौकी प्रभारी ताला थाना कन्धई मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी चौकी ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त जैद उर्फ राजा पुत्र सलीम उर्फ सोल्हू निवासी रामपुर कुर्मियान ,थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र 22 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत पूरे धुन्नू (लालापुर बार्डर) के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त जैद उर्फ राजा पुत्र सलीम उर्फ सोल्हू निवासी रामपुर कुर्मियान ,थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र 22 वर्ष।

इनामिया जैद उर्फ राजा पुत्र सलीम उर्फ सोल्हू निवासी रामपुर कुर्मियान ,थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 338/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11(1)डी पशु क्रुरता अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 12/2025 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11(1)डी पशु क्रुरता अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 शिवा प्रजापति, का0 रिंकू सिंह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 श्री रज्जन राव चौकी प्रभारी ताला थाना कन्धई मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी चौकी ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, समीर खान व इमरान खान उर्फ इम्मी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अदद डण्डा बरामद किये गये।

घटना का विवरण-
दिनांक 27.11.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेण्डरा में नहर तिराहे पर वादी के भाई को विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लाठी-डण्डों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। बीच-बचाव करने पर वादी व अन्य को भी चोटें आयीं। शोरगुल होने पर ग्रामीणों के पहुँचने पर अभियुक्तगण गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 336/25 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस बनाम 07 नामजद व 2-3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुमार कुशवाहा व उ0नि0 अनीस कुमार यादव मय हमराह मय हमराह का कृष्ण बिहारी सिंह,का० सुनील कुमार, का० शोभित कुमार, का0 विजय प्रकाश मय चालक हो0गा0 संजय कुमार धुरिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 336/25 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तो, 01. समीर खांन उर्फ बगीरा पुत्र अकरम खांन नि0 तातो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष, 02. इमरान खान उर्फ इम्मी पुत्र शमशेर खान निवासी तातो थाना चांदा जिला सुल्तानपुर उम्र 35 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बरहूपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 02 अदद डण्डा/लाठी बरामद किये गये।

अभियुक्तों का विवरण-
01. समीर खांन उर्फ बगीरा पुत्र अकरम खांन नि0 तातो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष।
02. इमरान खान उर्फ इम्मी पुत्र शमशेर खान निवासी तातो थाना चांदा जिला सुल्तानपुर उम्र 35।

बरामदगी-
घटना मे प्रयुक्त 02 अदद डण्डा बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अरविन्द कुमार कुशवाहा व उ0नि0 अनीस कुमार यादव मय हमराह मय हमराह का कृष्ण बिहारी सिंह, का० सुनील कुमार, का० शोभित कुमार, का0 विजय प्रकाश मय चालक हो0गा0 संजय कुमार धुरिया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कुण्डा के उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह म0 का0 प्रिया शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0न0-1059/2021 राज्य बनाम अमृत लाल आदि धारा 323/504/506 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों, 1. सुधाकर पुत्र अमृत लाल निवासी ग्राम मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 2. अमृत लाल पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व अभियुक्ता 3. 01 अभियुक्ता को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरपुर बनोही उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -
1. सुधाकर पुत्र अमृत लाल निवासी ग्राम मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
2. अमृत लाल पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
3. 01 अभियुक्ता।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह म0 का0 प्रिया शुक्ला थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।